29.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम रायला में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण कम 01 की ओर से शिविर के दौरान ही जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर द्वितीय प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलवायी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा प्रा0पत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित समस्त कलमों को दौहराते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। जबकि इसके विरूद्व विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के साबिक नम्बरान संख्या 303/1 रकबा 03–00 बीघा, जो कि विपक्षी उत्तरदाता के पिता के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड रही है, जिसके सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही के दौरान नवीन नम्बरान संख्या 815 कायम हुए, जो कि वर्तमान में भी प्रार्थीगण के नाम पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रेकार्ड है। साबिक नम्बरान संख्या 303/3 रकबा 09–13 बीघा भुमि माधु पिता गुलाब माली व साबिक नम्बरान संख्या 303/2 रकबा 04–10 बीघा भुमि चौथु पिता गुलाब माली के नाम पर बतौर खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड रही थी, माधु पिता गुलाब माली प्रार्थीगण के पूर्वज नही है, बल्कि चौथु पिता गुलाब माली प्रार्थीगण के पुर्वज रहे है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र व वादपत्र में माधु पिता गुलाब माली के विधिक वारिसानो को बतौर पक्षकार संयोजित नही कर, दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण द्वारा पैशशुदा जवाब प्रार्थनापत्र व समर्थन में शपथपत्र तथा सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अवलोकन/परिक्षण किया गया। एंव बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथनो यह सिद्व कराने में सफल रहा है कि वादग्रस्त आराजीयात के साबिक नम्बरान संख्या 303/1 रकबा 03–00 बीघा, जो कि विपक्षी उत्तरदाता के पिता के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड रही है, जिसके सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही के दौरान नवीन नम्बरान संख्या 815 कायम हुए, जो कि वर्तमान में भी प्रार्थीगण के नाम पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रेकार्ड है, और भूप्रन्बध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम फर्द ईख्तलाफ ईन्द्राज खसरा परिशोधन पत्र संख्या 163 से भी इसका प्रमाणिकरण होना सिद्व होता है। और इसके विपरीत प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के अभिकथनो अथवा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	दस्तावेजात का कोई ठोस खण्डन भी रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। यानि इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का स्थगन दिया जाना विधि विरूद्ध होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.06.2017 को अपास्त करते हुए, प्रकरण में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित कर, प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो तथा मूल वाद संख्या /2017 के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)	